सेवा में,

श्रीमान संयुक्त निबंधक (न्यायिक)
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

सन्दर्भ– माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज के वेब पोर्टल पर अपलोड की गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि।

विषयः श्रीमान जिला न्यायाधीश, श्रावस्ती द्वारा निर्गत वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019–2020 के सन्दर्भ में प्रत्यावेदन।

आदरणीय महोदय,

सम्मानपूर्वक निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी के कार्य, व्यवहार, आचरण तथा सत्यनिष्ठा के सम्बंध में श्रीमान जिला न्यायाधीश, श्रावस्ती द्वारा निर्गत वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019–2020 दिनांकित 31–12–2020 माननीय उच्च न्यायालय के बेब पोर्टल पर अपलोड की गयी। (वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019–2020 की नेट प्रति इस प्रत्यावेदन के साथ **संलग्नक–1/1–4** के रूप में संलग्न है।)

तथ्यात्मक बिन्दु

वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व कुछ तथ्यात्मक बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत होता है।

1. यह कि अधोहस्ताक्षरी को निर्गत उपरोक्त वर्णित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि श्रीमान जिला न्यायाधीश, श्रावस्ती द्वारा अत्यधिक विलम्ब से निर्गत की गयी है। प्रार्थी जनपद श्रावस्ती ऐट भिनगा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो अधिनियम के रूप में दिनांक 07–05–2017 से दिनांक 04–11–2020 तक कार्यरत रहा तथा श्रीमान जिला न्यायाधीश श्रावस्ती भी उक्त जनपद में जिला न्यायाधीश के रूप में दिनांक 23–09–2020 तक कार्यरत रहे परन्तु जिला न्यायाधीश श्रावस्ती के रूप में कार्यरत रहते हुये अधोहस्ताक्षरी को उक्त प्रविष्टि निर्गत नहीं की गयी जबकि उक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2020–2021 से सम्बंधित थी तथा उक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि 01.04.2019 से 31.03.2020 के कार्यकाल से सम्बंधित थी तथा सामान्य रूप से उक्त प्रविष्टि प्रविष्टि 31 मार्च, 2020 या इसके आसपास निर्गत की जानी चाहिये थी। इसी मध्य माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 04–11–2020 को अधोहस्ताक्षरी की प्रोन्नति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश से जिला न्यायाधीश के पदानुरूप करते हुये प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, के रूप में अधिसूचना के माध्यम से करते

हुये अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति जनपद गाजीपुर में की गयी तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुपालन में जनपद गाजीपुर में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, के रूप में पदभार ग्रहण किया गया। (सम्बंधित अधिसूचना की छाया प्रति **संलग्नक 2** के रूप में संलग्न है।)

2. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अधिसूचना के माध्यम से श्रीमान जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती का स्थानांतरण उक्त जनपद से जनपद एटा किया गया परन्तु श्रीमान जिला न्यायाधीश, श्रावस्ती द्वारा अपने स्थानांतरण के कारण कार्यभार छोडने की तिथि तक कोई भी ऐसी प्रविष्टि निर्गत नहीं की गयी न ही अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुयी।

3. यह कि श्रीमान जिला न्यायाधीश, श्रावस्ती द्वारा जनपद एटा में जिला न्यायाधीश का पद भार ग्रहण करने के काफी समय उपरांत तक कोई प्रविष्टि अधोहस्ताक्षरी के सम्बंध में निर्गत नहीं की गयी और एकाएक अत्यंत विलम्ब से दिनांक 31–12–2020 को प्रश्नगत वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अधोहस्ताक्षरी के सम्बंध में पोर्टल पर अपलोड की गयी जो पूर्णतया वास्तविक तथ्यों के विपरीत, दुर्भावनावश, असत्य एवं निराधार आधारों पर प्रस्तुत की गयी है।

4. यहॉ यह भी उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि अधोहस्ताक्षरी आलोच्य अवधि में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एस0सी0एस0टी0ऐक्ट, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो अधिनियम के रूप में कार्यरत रहा परन्तु अधोहस्ताक्षरी के सम्पूर्ण कार्यकाल में किसी भी अधिवक्ता या बार के किसी सदस्य द्वारा कभी कोई शिकायत नहीं की गयी जबकि इसके विपरीत श्रीमान जनपद न्यायाधीश के न्यायालय का श्रावस्ती बार द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया। (तत्सम्बंधी बार के पत्र की छाया प्रति **संलग्नक 3/1–2** के रूप में संलग्न है।)

5. यहॉ यह भी उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि श्रावस्ती एट भिंगा में अधोहस्ताक्षरी ही एकमात्र अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहा तथा अपने न्यायालय के अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों के प्रभारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरंतर कार्य किया जाता रहा इसके अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा नजारत अनुभाग, आर0टी0आई0 अनुभाग, सामान्य प्रशासन के प्रभारी के साथ साथ आहरण एवं वितरण अधिकारी/डी0डी0ओ0 के रूप में कार्य किया गया परन्तु अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यधिक कार्यभार की कभी कोई शिकायत श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय से नहीं की गयी तथा निरंतर अपने सेवा दायित्वों का निर्वाह पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं तन्मयता से करता रहा। (वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में **प्रस्तर 5** में उल्लिखित किया गया है)

6. यह कि यह सही है कि किसी जनपद के श्रीमान जिला न्यायाधीश में न्यायिक प्रशासन सम्बंधी सम्पूर्ण प्रशासनिक शक्तियॉ निहित होती

हैं परन्तु उनको अपने अधीनस्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिनको श्रीमान जिला न्यायाधीश के समान ही न्यायिक शक्तियॉ प्राप्त होती हैं, के निर्णयों का पुर्नविलोकन करने, न्यायिक संवीक्षा करने, पर्यवेक्षण करने अथवा कोई अन्य निष्कर्ष निकालने का न्यायिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है क्योंकि यह अधिकार केवल माननीय उच्च न्यायालय में ही निहित होता है। (नेट से प्राप्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत आदेश की छाया प्रति प्रत्यावेदन के साथ **संलग्नक 4/1–5** के रूप में संलग्न की जा रही है।)

7. यह कि अधोहस्ताक्षरी के कार्य व्यवहार व आचरण के सम्बंध में श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा जो गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि जब निर्गत की गयी, उससे काफी समय पूर्व ही अधोहस्ताक्षरी श्रीमान जिला न्यायाधीश के समकक्ष न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नति प्राप्त कर चुका था तथा प्रोन्नत होकर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, गाजीपुर के रूप में पदास्थापित हो चुका था, ऐसे में श्रीमान जिला न्यायाधीश को अपने समकक्ष पीठासीन अधिकारी के सम्बंध में उक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि निर्गत करने का अधिकार शेष नहीं रह गया था।

प्रत्यावेदन

8. यह कि तत्कालीन श्रीमान जिला न्यायाधीश, श्रावस्ती वर्तमान जिला न्यायाधीश, एटा के रूप् में कार्यरत रहते हुये अधोहस्ताक्षरी को जो वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि निर्गत की गयी उसके पृष्ठ 6 पर कुल 11 बिन्दु अधोहस्ताक्षरी के कार्य, व्यवहार एवं आचरण के सम्बंध में निर्गत किये गये हैं जिनका बिन्दुवार उत्तर निम्नवत अधोहस्ताक्षरी प्रस्तुत कर रहा हैः–

बिन्दु संख्या 1– S.P. Sravati has made ---------- the then District Judge.

9. उपरोक्त के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी का यह विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त पुलिस अधीक्षक के पत्र सम्बंधी घटना वर्ष 2018 की थी जिसके सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा तत्कालीन श्रीमान जिला न्यायाधीश, श्रावस्ती के द्व ारा मांगी गयी आख्या के सम्बंध में अपना विस्तृत उत्तर दिनांक 18.08.2018 को प्रेषित किया जा चुका था तथा प्रार्थी के स्पष्टीकरण/उत्तर प्रेषित करने के उपरांत श्रीमान जिला न्यायाीश श्रावस्ती द्वारा अग्रेतर कोई अन्य स्पष्टीकरण आहूत नहीं किया गया तथा प्रकरण समाप्त हो चुका था तथा उक्त पत्र एवं स्पष्टीकरण आदि अधोहस्ताक्षरी की व्यक्तिगत पत्रावली पर उपलब्ध था जिसे दुर्भावना से वर्तमान श्रीमान जिला न्यायाधीश श्रावस्ती द्वारा अघोहस्ताक्षरी की व्यक्तिगत पत्रावली से लेकर गोपनीय प्रविष्टि का आधार बनाया गया जो कि न तो उचित था और न ही वर्ष 2018 के स्पष्टीकरण या पुलिस अधीक्षक के पत्र को आधार ही बनाया जा सकता था क्योंकि उक्त घटना वर्ष 2018 की थी जबकि वार्षिक प्रविष्टि की समयावधि दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक

की अवधि का है। उक्त प्रकरण में विवेचक द्वारा अपनी कमियों को छिपाने के लिए तथा स्वंय को बचाने के आशय से न्यायालय पर झूठे, निराधार एवं काल्पनिक आधारों पर आरोप लगाये गये थे। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में गैंगस्टर अधिनियम, पाक्सो अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि से सम्बंधित मामलों में दिन प्रतिदिन सम्बंधित विवेचकों द्वारा आवेदन किये जाते थे तथा उन पर यथासंभव व यथाशीध्र विधिअनुसार आदेश पारित किय जाते थे परन्तु उक्त विवेचक के अतिरिक्त किसी भी अन्य विवेचक द्वारा कभी भी न्यायालय के कार्य के प्रति कभी कोई शिकायत नहीं की गयी। कथित विवेचक द्वारा उक्त शिकायत पूर्णतया आधारहीन, झूठी, काल्पनिक एवं न्यायिक अधिकारी को उसके कर्तव्यों से भयोपरत व विमुख करने के आशय से की गयी थी जिसका कोई भी आधार नहीं था। (अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमान जिला न्यायाधीश के द्वारा मांगी गयी आख्या के अनुपालन में प्रेषित आख्या की छाया प्रति संलग्नक 5/1–3 के रूप में संलग्न है।) उपरोक्त आधारों पर श्रीमान जिला न्यायाधीश, श्रावस्ती द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का उक्त बिन्दु वास्तविक तथ्यों के विपरीत है, आधारहीन एवं असत्य हैं तथा विलोपित किये जाने योग्य है।

बिन्दु संख्या 2:– Special Trial (Posco Act) No. 60/2019 Crime No. 230/2019 State Vs Kamal Kumar –----officer in this regard.

10- उपरोक्त बिन्दु के स्पष्टीकरण के सम्बंध में विनम्र निवेदन है कि उक्त तथ्यों के सम्बंध में श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अर्द्धशासकीय पत्र दिनांकित 20.02.2020 निर्गत कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र दिनांकित 24.02.2020 के माध्यम से अपना उत्तर प्रेषित किया गया। उक्त के सम्बंध में यह निवेदन है कि न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त का जमानत आवेदन निस्तारित करते समय राज्य की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अविक्ता, दाण्डिक/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक एवं अभियुक्त पक्ष की ओर से बहस कर रहे विद्वान अंधिवक्ता दोनों के ही तर्को को आदेश में उल्लिखित किया जाता है। उपरोक्त अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय बचाव पक्ष के द्वारा जो विस्तृत तर्क एवं तथ्य जमानत आवेदन में बहस करने के समय दर्शाये गये थे, उन्ही को लेखबद्ध करते हुये न्यायालय द्वारा मात्र यह आदेश पारित किया गया कि ***"उभय पक्ष की ओर से रखे गये तर्कों और साक्ष्यों के आलोक में मामले के गुण दोष में न जाते हुये अभियुक्त कमल कुमार आर्या का जमानत का आधार पर्याप्त है।"*** इस स्तर पर न्यायालय द्वारा अपना कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया था कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप पत्र मे वर्णित धाराओं का कोई अपराध सृजित होता है अथवा नहीं। न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन के निस्तारण में अपना कोई निष्कर्ष अभिवर्णित नहीं किया गया। संभवतः बचाव के पक्ष के तर्क को न्यायालय का निष्कर्ष समझ लेने के कारण उक्त स्थिति

उत्पन्न हुयी जबकि आदेश मे कहीं भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभिुक्त के विरूद्ध धारा 7/8 पाक्सो अधिनियम का अपराध नही बनता है। इसके अतिरिक्त जमानत आवेदन पर पारित आदेश अन्तवर्ती आदेश की श्रेणी में आता है जिसका कोई सम्बंध एवं प्रभाव प्रकरण के गुण दोष से नहीं होता है। जबकि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाते समय न्यायालय द्वारा आदेश में यह उल्लिखित किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं पक्षों के तर्को को सुनने के उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मे वर्णित धाराओं 363, 366 भा0द0सं0 एवं धारा 7/8 पाक्सो अधिनियम का अपराध प्रथम दृष्टया सृजित होना पाया जाता है। तदनुसार उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध के विचारण हेतु आरोप विरचित किये गये, इसमें कुछ भी ऐसा घटित नहीं हुआ जिसे न्यायिक प्रकिया के प्रतिकूल माना जा सके या कहा जा सके परन्तु श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा अकारण उक्त अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित किया जिसका समुचित और पर्याप्त एवं संतोषजनक उत्तर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत किया गया तदोपरांत अर्द्धशासकीय पत्र का प्रकरण पटाक्षेपित हो गया। (श्रीमान जिला न्यायाधीश श्रावस्ती द्वारा अधोहस्ताक्षरी को निर्गत अर्द्धशासकीय पत्र दिनांकित 20.02.2020 के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण/उत्तर की छाया प्रतियॉ **संलग्नक 6/1–3** के रूप में संलग्न हैं।)

11. इस स्तर पर द0प्र0सं0 की धारा 439 एवं 228 का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है। धारा 439 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियों से सम्बंधित हैं। इस धारा के खण्ड क के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर किसी अपराध का अभियोग है और जो अभिरक्षा में है, जमानत पर छोड दिया जाये और यदि अपराध धारा 437 की उपधारा 3 में विर्निदिष्ट प्रकार का है, तो वह ऐसी कोई शर्त जिसे वह उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, अधिरोपित कर सकता है। इस प्रकार इस धारा के अधीन जमानत आवेदन के निस्तारण करते समय न्यायालय को आरोप के सम्बंध में किसी विशिष्ट उल्लेख को करने की आवश्यकता दर्शित नहीं की गयी है कि आवेदक के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता है या नहीं। ऐसा ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त जमानत आदेश पारित करते समय किया गया है।

12. द0प्र0सं0 की धारा 228 किसी आपराधिक प्रकरण में सत्र न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये जाने के प्रावधान से सम्बंधित है जिसके अनुसार सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो अनन्यतः उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह अभियुक्त के विरूद्ध आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा। इस धारा में किसी अभियुक्त के विरूद्ध सत्र न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षणीय वाद में किसी अपराध के सम्बंध में आरोप विरचित किये जाने हेतु उपधारणा करने का अधिकार ही उल्लिखित किया गया है, इस स्तर पर न तो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना की जा सकती है और न ही साक्ष्य

के सम्बंध में कोई टिप्पणी किया जाना ही न्यायानुमत होता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्णित आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में उपधारित करने के उपरांत अभिकथित धारा का आरोप लिखित रूप से विरचित किया गया जिसमें कोई अवैधता, अनियमितता या अशुद्धता नहीं है। श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा मात्र स्वकल्पित आधारों पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये जाने वाले न्यायिक कार्यो में अकारण ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के आशय से अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा उसके विरूद्ध विरचित आरोप के सम्बंध में कोई भी अग्रिम कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आरोप से अवमुक्ति होने सम्बंधी नहीं की गयी। उपरोक्त आधारों पर श्रीमान जिला न्यायाधीश, श्रावस्ती द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का उक्त बिन्दु वास्तविक तथ्यों के विपरीत है, आधारहीन एवं असत्य हैं तथा विलोपित किये जाने योग्य है।

बिन्दु संख्या 3:– " A very serious complaint dated 07-01-2020---------- dated 31-07-2020.

13. उपरोक्त बिन्दु संख्या 3 के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी का विनम्र निवेदन यह है कि उक्त बिन्दु संख्या 3 में वर्णित विशेष वाद संख्या 43/2016 मुकदमा अपराध संख्या 1234/2016 थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती दिनांक 21.12.2019 को गुण दोष के आधार पर निर्णीत किया गया, जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील लम्बित है। प्रकरण पाक्सो अधिनियम से सम्बंधित होने एवं अभियुक्त के जिला कारागार में निरूद्ध होने के कारण प्रकरण की यथासंभव कार्यवाही न्यायालय द्वारा सम्पादित की गयी तथा कुल 7 अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य लेखबद्ध करने के उपरांत उभय पक्षों की बहस विस्तार से सुनकर समस्त तथ्यों एवं साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये उपलब्ध साक्ष्यानुरूप निर्णय पारित किया गया। प्रार्थिनी द्वारा निर्णय दिनांकित 21.12.2019 से असंतुष्ट होकर प्रतिकिया स्वरूप निराधार, काल्पनिक एवं गलत तथ्य के आधार पर न्यायालय की गरिमा को कलंकित करने के आशय से शिकायती प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना–पत्र के सम्बंध में श्रीमान जिला न्यायाधीश श्रावस्ती द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया जिसका विस्तृत स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17.01.2020 को श्रीमान जिला न्यायाधीश, श्रावस्ती को प्रेषित किया गया जिसकी छाया प्रति **संलग्नक–7/1–4** के रूप में इस प्रत्यावेदन के साथ संलग्न की जा रही है।

14. उक्त के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी का यह भी निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **अर्न्तगत धारा 482, 378, 407 संख्या 2389/2020 अलका पाण्डेय प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य निर्णीत दिनांक 15.12.2020** में पृष्ठ 4 पर प्रस्तर 9 में **उत्तर प्रदेश राज्य प्रति मोहम्मद नईम (1964) 1 कि0ला0 जर्नल 549** को उद्धृत करते हुये यह उल्लिखित किया गया

है कि

"The proper freedom and independence of judges and magistrates will be maintained and they must be allowed to perform the functions freely and fearlessly and without under interference by anybody, even by this court, at the same time it is equally necessary that in expressing their opinions judges and magistrates must be guided by considerations of justice, fair play and restrain."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि–

"The Sessions Judge while hearing the appeal had full powers and jurisdiction at his command to re-appreciate the evidence to disagree and come to a different conclusion that of the trial Court, but his jurisdiction fell short of commenting upon the shortcomings of the applicant while discharging the duties of trial Court dealing with the said case. It was not expected from him to remonstrate that applicant while discharging the duties of a trial judge had not written the judgment as expected from a judicial officer. The said comment starkly reflects upon the persona of the judicial officer, and while deciding the said appeal the Sessions Judge was expected to judge the case which were before him, and had no jurisdiction to judge the judicial officer who was the author of the judgment. Undeniably the District and Sessions Judge has administrative control over the judicial officers subordinate to him, but the administrative control cannot be equated to power of superintendence which is vested only with the High Courts. The Hon'ble Supreme Court in this regard has also even cautioned the High Courts to refrain from making observations extending to criticism of the subordinate judicial officer in as much as the said judicial officer is condemned unheard which is violative of principles of natural justice, and it should not be forgotten that the subordinate judiciary itself is dispensing justice and it gives chance to the litigating party to have a sense of victory not only over his opponent but also over the judge who decided the case against him. This is subversive of the judicial authority of the deciding judge and such an unsavory situation leads to the judicial officer filing a petition which reduces his status to a litigant and this is clearly not 6 conducive of judicial functioning. In the case of In the Matter of "K" A Judicial Officer (2001) 3 SCC 54 it was observed:-

"Judicial restraint and discipline are as necessary to the orderly administration of justice as they are to the effectiveness of the army. The duty of restraint, this humility of function should be constant theme of our Judges. This quality in decision-making is as much necessary for Judges to command respect as to protect the independence of the judiciary. Judicial restraint in this regard might better be called judicial respect, that is, respect by the judiciary. Respect to those who come before the court as well to other coordinate branches of the State, the executive and the legislature. There must be mutual respect. When these qualities fail or when litigants and public believe that the Judge has failed in these qualities, it will be neither good for the Judges nor for the judicial process."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय के प्रस्तर 13 में **अमरपाल सिंह प्रति उततर प्रदेश राज्य व अन्य (2012)6 एस0सी0सी0 491** का उल्लेख करते हुये यह उल्लिखित किया गया है कि

"27. A Judge is required to maintain decorum and sanctity which are inherent in judicial discipline and restraint. A judge functioning at any level has dignity in the eyes of public and credibility of the entire system is dependent on use of dignified language and sustained restraint, moderation and sobriety. It is not to be forgotten that independence of judiciary has an insegregable and inseparable link with its credibility. Unwarranted comments on the judicial officer creates a dent in the said credibility and consequently leads to some kind of erosion and affects the conception of rule of law. The sanctity of decision making process should not be confused with sitting on a pulpit and delivering sermons which defy decorum because it is obligatory on the part of the superior Courts to take recourse to correctional measures. A reformative method can be taken recourse to on the administrative side.

28. It is condign to state it should be paramount in the mind of a Judge of superior Court that a Judicial officer projects the face of the judicial system and the independence of judiciary at the ground reality level and derogatory remarks against a judicial officer would cause immense harm to him individually (as the expunction of the remarks later on may not completely resuscitate his reputation) but also affects the credibility of the institution and corrodes the sacrosanctity of its zealously cherished philosophy. A judge of a superior Court however strongly he may feel about the unmerited and fallacious order passed

by an officer, but is required to maintain sobriety, calmness, dispassionate reasoning 8 and poised restraint. The concept of loco parentis has to take a foremost place in the mind to keep at bay any uncalled for any unwarranted remarks.

29. Every judge has to remind himself about the aforesaid principles and religiously adhere to them. In this regard it would not be out of place to sit in the time machine and dwell upon the sagacious saying of an eminent author who has said that there is a distinction between a man who has command over 'Shastras' and the other who knows it and puts into practice. He who practises them can alone be called a 'vidvan'. Though it was told in a different context yet the said principle can be taken recourse to, for one may know or be aware of that use of intemperate language should be avoided in judgments but while penning the same the control over the language is forgotten and acquired knowledge is not applied to the arena of practice. Or to put it differently the knowledge stands still and not verbalised into action. Therefore, a committed comprehensive endeavour has to be made to put the concept to practice so that it is concretised and fructified and the litigations of the present nature are avoided.

30. Coming to the case at hand in our considered opinion the observations, the comment and the eventual direction were wholly unwarranted and uncalled for. The learned Chief Judicial Magistrate had felt that the due to delay and other ancillary factors there was no justification to exercise the power under Section 156 (3) of the Code. The learned Single Judge, as is manifest, had a different perception of the whole scenario. Perceptions of fact and 9 application of law may be erroneous but that never warrants such kind of observations and directions. Regard being had to the aforesaid we unhesitatingly expunge the remarks and the direction which have been reproduced in paragraph three of our judgment. If the said remarks have been entered into the annual confidential roll of the judicial officer the same shall stand expunged. That apart a copy of the order be sent by the Registrar of this Court to the Registrar General of the High Court of Allahabad to be placed on the personal file of the concerned judicial officer." **(संलग्नक–4 / 1–5)**

16. उपरोक्त सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी का विनम्र निवेदन है कि श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित निर्णय जो कि पूर्णतया पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर पारित

किया गया, के सम्बंध में प्रशासनिक रूप में निर्णय के पुर्नविलोकन करने या निष्कर्ष के सम्बंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। ऐसी स्थिति में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का यह अंश भी विलोपित किये जाने योग्य है।

बिन्दु संख्या 4:– ST No. 124 of 2014 State Vs Agya Ram ------ Strictly.

17. उपरोक्त बिन्दु पर श्रीमान जिला न्यायाधीश, श्रावस्ती द्वारा अंकित टिप्पणी के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी का विनम्र निवेदन है कि सत्र परीक्षण संख्या 124/2014 राज्य प्रति आज्ञाराम व अन्य, अर्न्तगत धारा 302/34 भा0द0सं0, थाना मल्हीपुर, जिला श्रावस्ती को 6 माह में शीघ्रतापूर्वक निस्तारित करने सम्बंधी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.03.2019 प्रशासनिक कार्यालय में दिनांक 09.04.2019 को प्राप्त हुआ। उस समय अधोहस्ताक्षरी अपने पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनके अंतिम कियाकर्म आदि संस्कारों में व्यस्त रहने के कारण अर्जित अवकाश पर था। दिनांक 15.04.2019 को अर्जित अवकाश से लौटने पर उक्त दिन कार्यमुक्त हुआ और न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया, इस कारण माननीय उच्च न्यायालय का उक्त आदेश अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं आ सका। दिनांक 02.05.2019 को उक्त पत्रावली मेरे न्यायालय में अंतरण से प्राप्त हुयी जिसमें दिनांक 23.05.2019 पूर्व से नियत थी। दिनांक 23.05.2019 को पत्रावली प्रथम बार मेरे समक्ष उक्त न्यायालय में प्रस्तुत हुयी जिसमें अधिवक्तागण को सूचित करते हुये पी0डब्लू0–1 को आहूत किये जाने का आदेश पारित किया गया तथा 13.06.2019 नियत की गयी। दिनांक 13.06.2019 को त्रैमासिक निरीक्षण में व्यस्त रहने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो सकी तथा दिनांक 11.07.2019 की तिथि नियत की गयी। दिनांक 11.07.2019 को अधोहस्ताक्षरी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आईआईपीए दिल्ली में प्रशिक्षणाीन रहा। पत्रावली में दिनांक 31.07.2019 नियत की गयी तथा साक्षी को तलब करने का आदेश प्रभारी अधिकारी के द्वारा पारित किया गया तथा पत्रावली प्रथम बार पूर्णरूपेण मेरे समक्ष कार्यवाही हेतु दिनांक 31.07.2019 को प्रस्तुत हुयी। पुनः उक्त पत्रावली त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायालय से अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम के न्यायालय में श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित करने के उपरांत एवं मेरी नियुक्ति विशेष न्यायाधीश, एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट के रूप में हो गयी थी, इस कारण अधोहस्ताक्षरी को उक्त पत्रावली की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं रह गया था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में लगभग 1200 पत्रावलियॉ लम्बित थी साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहते हुये अपने न्यायालय के साथ साथ न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0ऐक्ट, एम0पी0/एम0एल0ए0 से

सम्बंधित अधिसूचित न्यायालय, गैंगस्टर ऐक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम विद्युत अधिनियम तथा ड्रग्स एण्ड कास्टोमिक्स अधिनियम, दाण्डिक अपील, सिविल अपील, सिविल रिवीजन, क्लेम पिटीशन, एल0ए0 वाद, निष्पादन वाद, प्रकीर्ण वाद, परिवाद, धारा 156(3) द0प्र0सं0 जैसे प्रत्येक प्रकार के वाद प्रभारी के रूप में मेर समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे क्योंकि जनपद श्रावस्ती में अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त कोई भी अपर सत्र न्यायालय अधिकांश समय कार्यरत नहीं था, ऐसे में प्राचीन वादों, अधिक समय से जेल में निरूद्ध विचाराधीन बंदियों के प्रकरण, पाक्सो अधिनियक के मामले तथा एम0पी0/एम0एल0ए0 से सम्बंधित मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निस्तारित करने का हरसंभव प्रयास किया गया। पी0डब्लू0–1 के मुख्य परीक्षा के उपरांत 3 वर्षो तक गायब हो जाने के उपरांत न तो साक्ष्य अंकित हो सकी न ही विचारण की कार्यवाही आगे बढ सकी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा ही उक्त साक्षी के विरूद्ध गिरफतारी अधिपत्र निगर्त किया गया तथा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की गयी। इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का प्रत्येक प्रकार से अनुपालन करने का अपनी क्षमता से बढकर प्रयास किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उक्त पत्रावली के शीघ्र निस्तारण करने का यथासंभव प्रत्येक प्रयास किया गया है। उक्त के सम्बंध में श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अर्द्धशासकीय पत्र निर्गत किया गया जिसका स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07.12.2019 को प्रस्तुत किया गया जिसकी छाया प्रति इस प्रत्यावेदन के साथ सुलभ सन्दर्भ एवं अवलोकनार्थ **संलग्नक 8/1–5** के रूप में संलग्न है। ऐसी स्थिति में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का यह अंश भी विलोपित किये जाने योग्य है।

बिन्दु संख्या 5– For the period from 28-08-2019 to ---------- objections

18. उपरोक्त बिन्दु के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी का विनम्र निवेदन है कि कार्यालय की त्रुटिवश जमानत एवं रिमाण्ड के सम्बंध में 5 के स्थान पर 10 यूनिट विवरण पत्र में उल्लिखित हो गया, यह केवल मानवीय भूल की संज्ञा में आता है। यहॉ पर यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन प्रतीत होता है कि अधोहस्ताक्षरी के पास अपने न्यायालय के कार्य के अतिरिक्त अन्य विभिन्न न्यायालयों का कार्य प्रभार भी था क्योंकि अधोहस्ताक्षरी ही अकेला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत था। कार्य अधिकता के कारण कार्यालय लिपिक की त्रुटि अधोहस्ताक्षरी की दृष्टि से दृष्टिच्युत हो गयी परन्तु उक्त त्रुटि के सम्बंध में श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय के स्तर से त्रुटिशुद्धि हेतु कोई आपत्ति मौखिक रूप से नहीं की गयी न ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया और न ही लिखित रूप से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया। यदि श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा मौखिक या लिखित रूप से उक्त त्रुटि इंगित की जाती या बतायी जाती तब उक्त त्रुटि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अविलम्ब संशोधित कर दी जाती। यहॉ यह भी उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है कि यदि उक्त यूनिट को अधोहस्ताक्षरी के किये गये कार्य से

पूर्णतया घटा भी दिया जाये तो अधोहस्ताक्षरी का किया गया कार्य बहुत अधिक है क्योंकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा वास्तविक कार्य से लगभग दो गुना से अधिक कार्य आलोच्य वर्ष में किया गया। श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा वास्तविक तथ्यों के विपरीत विभागीय विद्वेष के कारण तथा अधोहस्ताक्षरी की न्यायिक अधिकारी के रूप में निष्पक्ष छवि को धूलधूसरित करने के आशय से उक्त बिन्दु अधोहस्ताक्षरी को जानबूझकर क्षति कारित करने के आशय से उल्लिखित की गयी है। ऐसी स्थिति में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का यह अंश भी विलोपित किये जाने योग्य है।

बिन्दु संख्या 6– For the period from 14-09-2019 ------objections.

19. उपरोक्त बिन्दु के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी का विनम्र निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 311 द0प्र0सं0 को दो बार निस्तारित किया गया जिस कारण अधोहस्ताक्षरी के कार्य के विवरण में 2–2 यूनिट उल्लिखित किये गये तथा प्रभारी अधिकारी, प्रशासन के रूप में पृथक पृथक रूप से श्रीमान जिला न्यायाधीश के आदेशानुसार प्रभारित किये जाने के उपरांत कार्य का सम्पादन किया गया जिस कारण पृथक पृथक यूनिट विवरण पत्र में उल्लिखित किये गये। अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्लेम किये गये उक्त यूनिटों के सम्बंध में श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा कभी कोई आपत्ति मौखिक या लिखित रूप से नहीं की गयी न ही अधोहस्ताक्षरी को संसूचित की गयी। यदि श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा मौखिक या लिखित रूप से उक्त त्रुटि इंगित की जाती या बतायी जाती तब उक्त त्रुटि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अविलम्ब संशोधित कर दी जाती। यदि उक्त यूनिट कार्यालय की त्रुटि के कारण अंकित हो गये हैं तो यह मानवीय भूल की श्रेणी में आती है। यहॉ यह भी उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है कि यदि उक्त यूनिट को अधोहस्ताक्षरी के किये गये कार्य से पूर्णतया घटा भी दिया जाये तो आलोच्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी का किया गया कार्य बहुत अधिक है क्योंकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा वास्तविक कार्य से लगभग दो गुना से अधिक कार्य आलोच्य वर्ष में किया गया। श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा वास्तविक तथ्यों के विपरीत विभागीय विद्वेष के कारण तथा अधोहस्ताक्षरी की न्यायिक अधिकारी के रूप में जन सामान्य एवं अधिवक्तागण के समक्ष उज्जवल एवं पारदर्शी छवि को कलंकित करने के आशय से उक्त बिन्दु अधोहस्ताक्षरी को जानबूझकर क्षति कारित करने के आशय से उल्लिखित की गयी है। ऐसी स्थिति में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का यह अंश भी विलोपित किये जाने योग्य है।

बिन्दु संख्या 7:– Officer has presented T.A. Bill -------claiming excess T.A.

20. उपरोक्त बिन्दु के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी का विनम्र निवेदन है कि उक्त बिन्दु पूर्णतया वास्तविक तथ्यों के विपरीत है, असत्य तथा स्वीकार

नही है। उपरोक्त के सन्दर्भ में यह निवेदन है कि जे0टी0आर0आई0 में ट्रेनिंग समापन के उपरांत अधोहस्ताक्षरी द्वारा यात्रा बिल के भुगतान हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम लिमिटेड, डिपो बहराइच से श्रावस्ती स्थान भिनगा से लखनउ की दूरी के सम्बंध में जानकारी पत्र के माध्यम से आहूत की गयी । अधोहस्ताक्षरी के पत्र के सन्दर्भ में क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा भिनगा से लखनउ की दूरी 178 कि0मी0 दर्शायी गयी जिसके आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा यात्रा व्यय बिल बनाकर भुगतान हेतु प्रेषित किया गया। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि उक्त ट्रेनिंग 20.01.2018 से 23.01.2018 की मध्यावधि में जे0टी0आर0आई0 में सम्पादित की गयी जो आलोच्य वर्ष से सम्बंधित नहीं थी परन्तु श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा मात्र अधोहस्ताक्षरी के सम्बंध में प्रतिकूल प्रविष्टि बनाने हेतु पूर्व वर्ष के यात्रा व्यय बिल को आधार बनाया गया। इसके उपरांत पुनः अधोहस्ताक्षरी आईआईपीए की ट्रेनिंग जो कि दिनांक 08.07.2019 से 12.07.2019 की अवधि में आयोजित हुयी थी, में सम्मिलित होने के उपरांत यात्रा व्यय बिल भुगतान हेतु तैयार किया गया जिसमें उसके द्वारा 162 किलोमीटर की दूरी लखनउ तक की दर्शाकर व्यय बिल बनाकर भुगतान हेतु इसलिए प्रेषित किया गया क्योंकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने वाहन से शार्टकट मार्ग यात्रा हेतु अपनाया गया था और वास्तविक दूरी से कम की दूरी तय करने के कारण वास्तविक दूरी का बिल भुगतान हेतु भेजा गया जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी। यदि अधोहस्ताक्षरी चाहता तो वह पुनः 178 कि0मी0 की दूरी का ही यात्रा व्यय बिल तैयार करके भुगतान हेतु भेज सकता था परन्तु सद्भावना में उसके द्वारा जितनी दूरी अपने वाहन से शार्टकट से तय की गयी, उसी वास्तविक दूरी का बिल भुगतान हेतु भेजा गया जिस कारण 32 कि0मी0 की दूरी कम क्लेम की गयी। इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी द्वारा न्यूनतम दूरी से यात्रा करने के उपरांत वास्तविक न्यूनतम दूरी को क्लेम किया गया जो वित्तीय नियमों के अर्न्तगत प्रावधानित किया गया है। (क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम लिमिटेड डिपो बहराइच द्वारा निर्गत सूचना की छाया प्रति **संलग्नक–9** के रूप में संलग्न है।) अतैव वार्षिक गोपनीय टिप्पणी का यह अंश भी विलोपित किये जाने योग्य है।

8. बिन्दु संख्या 8: General reputation of the officer is very low in public.

21. उपरोक्त बिन्दु के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी का विनम्र निवेदन है कि श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा अधोहस्ताक्षरी की प्रतिष्ठा के सम्बंध में पूर्णतया गलत, आधारहीन, बिना किसी तथ्य या साक्ष्य के मात्र विभागीय द्वेष भावना से ग्रस्त होकर उक्त अंकन किया है जिसका न तो कोई आधार दर्शित किया गया न ही कोई साक्ष्य उल्लिखित किया गया और न ही कोई कारण ही दर्शाया गया। अधोहस्ताक्षरी की न्यायिक अधिकारी के रूप में सदैव से निष्पक्ष, न्यायशील, विवेकशील, मदृभाषी छवि रही है। न्यायिक सेवा में चयन होने के उपरांत से आज तक जहॉ जहॉ अधोहस्ताक्षरी न्यायिक अधिकारी के रूप में

तैनात रहा, अपने वरिष्ठ अधिकारियों का स्नेही रहा है। श्रावस्ती में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत रहने के दौरान अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई शिकायत किसी बार सदस्य द्वारा नहीं की गयी न ही आमजन द्वारा (कथित शिकायतकर्ती श्रीमती सावित्री देवी के शिकायती प्रार्थना–पत्र को छोडकर) अधोहस्ताक्षरी के कार्य, व्यवहार व आचरण के प्रति कोई शिकायत की गयी। जहॉ तक प्रार्थिनी सावित्री देवी के शिकायती प्रार्थना–पत्र का प्रश्न है, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि उक्त शिकायती प्रार्थना–पत्र स्वंय श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा अधोहस्ताक्षरी की निर्मल छवि को क्षति पहुॅचाने के आशय से शिकायतकर्ती को व्यक्तिगत रूप से बुलवाकर जबरदस्ती उससे तैयार कराया गया तथा उसी दिन प्रार्थिनी का बयान लेखबद्ध कर लिया गया तथा उसका हस्ताक्षरित प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय भी प्रेषित कराया परन्तु उनका उक्त प्रयास भी निरर्थक रहा परन्तु यह अधोहस्ताक्षरी का सौभाग्य है कि अधोहस्ताक्षरी की छवि अक्षुण्य बनी रही।

22. इसके विपरीत श्रीमान जिला न्यायाधीश की छवि काफी समय से जनसामान्य में सामान्य नही रही है। जनपद श्रावस्ती में कार्यरत रहने के दौरान अधिवक्तागण द्वारा उनके कार्य व्यवहार व आचरण के सम्बंध में शिकायतें की गयी तथा उनके न्यायालय का कार्य वहिष्कार किया गया। इसके उपरांत जिला एटा में स्थानांतरण होकर जनपद एटा में जिला न्यायाधीश में कार्यरत होने के अल्पसमय उपरांत ही उनके कार्य व्यवहार व आचरण के सम्बंध में शिकायतें माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित की गयी तथा उनके न्यायालय का कार्य बहिष्कार अधिवक्तागण द्वारा किया गया। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन, एटा के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव <u>माननीय मुख्य न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की प्रति संलग्नक–10क के रूप में संलग्न है।</u> इस प्रकार श्रीमान जिला न्यायाधीश का आचरण स्वयमेव ही यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि उनके द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत न्यायिक अधिकारीगण को भी येन केन प्रकारेण परेशान करने की हर संभव कोशिश की जाती रही है और इसी दुर्भावना से प्रेरित होकर उनके द्वारा उक्त बिन्दु वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अधोहस्ताक्षरी के सम्बंध में उल्लिखित किया गया है जो उपरोक्त आधारों पर विलोपित किये जाने योग्य है।

9. बिन्दु संख्या 9:– Departmental enquiry ----------
----------the matter is dropped.

23. उपरोक्त बिन्दु के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी का विनम्र निवेदन है कि उक्त बिन्दु में वर्णित अंतिम विभागीय जाच संख्या 15/2015 अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध संस्थित अवश्य हुयी परन्तु अधोहस्ताक्षरी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं लिखित कथन तथा जांच पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अन्य साक्ष्य

का परिशीलन करने के उपरांत माननीय जांच अधिकारी महोदय द्वारा उक्त जांच समाप्त की गयी तथा अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित न होना पाते हुये अधोहस्ताक्षरी को जांच में विरचित आरोपों से आरोप मुक्त करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत किया गया जो श्रीमान जिला न्यायाधीश के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 14–02–2020 को प्राप्त हुआ। (तत्सम्बंधी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की छाया प्रति **संलग्नक–10** के रूप में संलग्न है।) उल्लेखनीय है कि उक्त बिन्दु में उल्लिखित जांच अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त की जा चुकी थी परन्तु श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा मात्र गोपनीय प्रविष्टि का आधार बनाने के आशय से उक्त जांच का उल्लेख किया गया जो उनके दुर्मन्तव्य को स्पष्ट दर्शित करता है कि येन–केन–प्रकारेण झूठे तथ्यों को आधार बनाते हुये उक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि केवल अधोहस्ताक्षरी को क्षति पहुॅचाने तथा उसकी निष्पक्ष न्यायिक अधिकारी की छवि को धूल धूसरित करने के आशय से निर्मित की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त जांच समाप्त करने एवं अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में निस्तारित हो जाने के उपरांत श्रीमान जिला न्यायाधीश को कोई भी अधिकार उक्त जांच के सम्बंध में टीका टिप्पणी करने का प्राप्त नहीं था परन्तु अनावश्यक रूप से बिना किसी औचित्य व आधार के उसका उल्लेख उनके द्वारा मात्र इसलिए किया गया कि असत्य, आधारहीन, झूठा आधार बनाकर वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को प्रतिकूलता प्रदान की जा सके। उपरोक्त परिस्थितियों में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का उक्त अंश भी विलोपित किये जाने योग्य है।

बिन्दु संख्या 10– Officer has decided ---------- benefit to the accused persons.

24. उपरोक्त बिन्दु के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी का यह निवेदन है कि उक्त बिन्दु में उल्लिखित 49 विद्युत अधिनियम के आपराधिक प्रकरण अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्णीत किये जाने का उल्लेख किया गया। यह सही है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा आलोच्य अवधि में कुल 49 विद्युत अधिनियम के आपराधिक वाद निस्तारित किये गये। परन्तु उक्त बिन्दु में यह उल्लेख किया जाना कि पीठासीन अधिकारी को विधिक ज्ञान का अभाव है अथवा उक्त आपराधिक वाद अनुचित लाभ अभियुक्तगण को पहुॅचाने के आशय से निर्णीत किये गये, पूर्णतया असत्य, निराधार, दुर्मन्तव्य से तथा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के सद्चरित्र को प्रतिकूल प्रभावित करने के आशय से तथा न्यायालय की गरिमा को क्षति पहुॅचाने के उद्देश्य से उल्लिखित किये गये हैं। यहॉ यह उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है कि उपरोक्त विद्युत अधिनियम के आपराधिक वाद अधोहस्ताक्षरी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये गये। लोक अदालत का वास्तविक उद्देश्य यही है कि वादकारी को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान कराया जाये। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष में अनेक राष्ट्रीय, त्रैमासिक लोक अदालतों का आयोजन किया जाता रहा है। लोक अदालत में प्रकरण के अभियुक्त/वादकारी द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति का

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत न्यायालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि कम से कम दण्ड से अभियुक्त को दंडित किया जाये ताकि उसे सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त हो सके तथा लोक अदालत का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त आपराधिक वाद निर्णीत किये गये तथा समुचित अर्थदण्ड अभियुक्तगण की अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अधिरोपित किया गया। किसी भी पत्रावली में विद्युत विभाग की ओर से वास्तविक विद्युत क्षति की आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। न्यायालय का यह कार्य नही है कि वह अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन पक्ष को निर्देशित करे ताकि अभियुक्तगण को किसी न किसी प्रकार दंडित किया जा सके बल्कि न्यायालय द्वारा अपने समक्ष अभियोजन एवं अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य पर विचार कर विधिसंगत निर्णय/आदेश पारित करना होता है। अधोहस्ताक्षरी के समक्ष विद्युत विभाग की ओर से विद्युत चोरी के धारा 135 विद्युत अधिनियम के प्रकरण जो कि घरेलू विद्युत चोरी से सम्बंधित होते हैं, का विधिसंगत निस्तारण लोक अदालत में करते हुये न्यायिक दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुये सस्ता एवं सुलभ न्याय लोक अदालत के माध्यम से वादकारियों को प्रदान करने के उद्देश्य से समुचित अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया जो किसी भी प्रकार से न तो गलत है, न ही विधिविरूद्ध है और न ही अतार्किक है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय हे कि श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय को समकक्ष न्यायालय द्वारा किसी सिविल या दाण्डिक वाद में पारित निर्णय या आदेश की आलोचना करने की शक्ति प्राप्त नही है। यह शक्ति मात्र माननीय अपीलीय न्यायालय को ही प्राप्त है। श्रीमान जिला न्यायाधीशं महोदय द्वारा अकारण, बिना किसी आधार के, अधोहस्ताक्षरी की छवि को धूमिल करने के आशय से एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने के आशय से उक्त विवरण उल्लिखित किया गया है जिसका कोई भी न्यायिक आधार नही है। उपरोक्त आधारों पर उक्त बिन्दु भी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि से विलोपित किये जाने योग्य है।

बिन्दु संख्या 11: Officer has left headquarter--------National Lock down period.

25. उपरोक्त बिन्दु के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी का विनम्र निवेदन है कि दिनांक 21.03.2020 को शनिवार का दिन था। अधोहस्ताक्षरी के बच्चे की तबियत खराब होने के कारण सामान्य अनुक्रम में सप्ताहांत में न्यायालय समयोपरांत मुख्यालय छोडने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत अधोहस्ताक्षरी अपने बच्चे के इलाज हेतु अपने घर सोमवार को मुख्यालय पर उपस्थिति की आशा में चला गया। श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा जानबूझकर मेरे बच्चे की तबियत खराब होने एवं इलाज हेतु जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रताडित करने के आशय से निरस्त कर दिया गया परन्तु चूँकि बच्चे की तबियत खराब थी तथा उसको इलाज प्रदान कराया जाना आवश्यक था तथा अधोहस्ताक्षरी के परिवार में अन्य कोई पुरूष सदस्य नही है, इस कारण अधोहस्ताक्षरी श्रीमान जिला न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में बच्चे की

बीमारी के सम्बंध मौखिक सूचना दी गयी तब श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अपने रिस्क पर मुख्यालय छोडने की मौखिक अनुमति प्रदान की गयी। अधोहस्ताक्षरी अपने बच्चे की बीमारी की विवशता के कारण इस आशा से चला गया कि वह दिनांक 22.03.2020 की रात्रि अथवा दिनांक 23.03.2020 की प्रातः मुख्यालय पर उपस्थित हो जायेगा। दिनांक 21.03.2020 तक न्यायालय के बंद हो जाने के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय से आदेश पारित हो चुके थे तथा अधोहस्ताक्षरी को लॉक डाउन किये जाने की कोई उम्मीद नहीं थी परन्तु अचानक दिनांक 22.03.2020 को कुछ जिलो में जिनमें लखनउ भी सम्मिलित था, लॉक डाउन घोषित कर दिये जाने के कारण समस्त यातायात के साधनों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया तथा लखनउ जनपद की सीमाओं को सील कर दिये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी दिनांक 22.03.2020 की रात्रि अथवा 23.03.2020 की प्रातः लखनउ से नहीं निकल सका जिस कारण मुख्यालय वापिस नहीं आ सका। अधोहस्ताक्षरी मात्र अपने बच्चे की बीमारी के कारण ही अपने घर पर गया था, अन्यथा कोई कारण नहीं था। इस सम्बंध में श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा अधोहस्ताक्षरी से कतिपय बिन्दुओं पर अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण आहूत किया गया जिसका समुचित स्पष्टीकरण दो बार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया। (अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषिंत स्पष्टीकरण की छाया प्रतियॉ **संलग्नक–11/1–2** एवं **संलग्नक–12/1–12** के रूप में संलग्न हैं)। अधोहस्ताक्षरी का विनम्र निवेदन यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का चाहे वह किसी भी पद पर कार्यरत हो, राजकीय सेवा सम्पादित करने के अतिरिक्त अपने परिवार की सुरक्षा, पालन पोषण, आकस्मिक बीमारी से ग्रस्त होने पर परिवार के सदस्यों को समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराना एवं अपने परिवार के सदस्यों को संरक्षण प्रदान किया जाना व उनकी रक्षा प्रत्येक प्रकार से करना प्रत्येक मानव का परम कर्तव्य होता है। अधोहस्ताक्षरी के परिवार में उसकी पत्नी, एकमात्र पुत्र व दो पुत्रियॉ हैं। अपने एकमात्र पुत्र जो कि अवयस्क है, की बीमारी से अधोहस्ताक्षरी अत्यंत बेचैन हो गया था तथा मानसिक रूप से व्यथित था क्योंकि वह अपने परिवार से दूर था, ऐसी स्थिति में यदि उसके द्व ारा यदि मुख्यालय छोडने के आवेदन पत्र में आवश्यक कार्य लिखकर मुख्यालय छोडने की अनुमति का आवेदन श्रीमान जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रेषित किया गया तो इसमें ऐसी कोई गंभीर त्रुटि नहीं थी कि उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता क्योंकि अपने अवयस्क बच्चे को चिकित्सा प्रदान कराया जाना भी आवश्यक कार्य की श्रेणी में ही आता है। द्वितीय स्पष्टीकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा विस्तृत स्पष्टीकरण उक्त के सम्बंध में श्रीमान जिला न्यायाधीश को प्रेषित भी किया गया परन्तु उक्त को बिना किसी औचित्य के आधार बनाते हुये गोपनीय प्रविष्टि का आधार बनाया गया है जो श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय की अपने अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के प्रति इस कलुषित भावना को ही इंगित करता है कि श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय द्व ारा अपने अधीनस्थ कार्यरत न्यायिक अधिकारीगण को किसी न किसी प्रकार मानसिक रूप से प्रताडित करने का प्रयास किया जाता रहा। उपरोक्त परिस्थितियों में गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि का यह अंश भी विलोपित किये

जाने योग्य है।

26. श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय के श्रावस्ती जनपद में जिला न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहने की अवधि में जनपद श्रावस्ती के अधिवक्तागण द्वारा मार्डन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन भिनगा श्रीवास्ती के समक्ष इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया कि अधिवक्तागण जनपद न्यायाधीश श्रावस्ती के न्यायिक प्रकिया व कदाचार से अत्यंत क्षुब्ध है। श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई का कोई समय निश्चित नही है तथा वादकारीगण व अधिवक्तागण को परेशान करने की नीयत से शाम को पत्रावलियों को लम्बित रखा जाता है और लम्बे इंतजार के उपरांत तारीख दी जाती है। उक्त अधिवक्तागण के पत्र के अनुक्रम में बार के अध्यक्ष द्वारा श्रीमान जिला न्यायाधीश को पत्र दिनांकित 06.12.2019 निर्गत किया गया। (अधिवक्तागण द्वारा प्रेषित पत्र तथा बार अध्यक्ष द्वारा प्रेषित पत्र की छाया प्रतियॉ **संलग्नक 3/1–2** के रूप में संलग्न है।) जो यह दर्शाती हैं कि न केवल कार्यरत न्यायिक अधिकारीगण बल्कि वादकारियों एवं अधिवक्तागण के प्रति भी श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय का व्यवहार व आचरण किस सीमा तक प्रताडनात्मक रहा।

27. श्रीमान जिला न्यायाधीश के कार्य, व्यवहार व आचरण से तंग आकर जिला श्रावस्ती में तैनाती के दौरान उनके न्यायालय का कार्य वहिष्कार दिनांक 10.02.2020 से 15.02.2020 तक अधिवक्तागण द्वारा किया गया। (तत्सम्बंधी बार के पत्र की छाया प्रति **संलग्नक–14** के रूप में संलग्न है।) इसके अनंतर जनपद श्रावस्ती की बार की ओर से श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय के कार्य व्यवहार के सम्बंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, भारत, शिकायती पत्र दिनांकित 07.02.2020 प्रेषित किया गया। (तत्सम्बंधी बार के प्रार्थना–पत्र की छाया प्रति **संलग्नक–15** के रूप में संलग्न है।) तदोपरांत दिनांक 17.06.2020 को उक्त बार की ओर से श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय के कार्य, व्यवहार, आचरण, सत्यनिष्ठा आदि पर गंभीर आरोप लगाते हुये माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्रावस्ती को शिकायती पत्र श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती द्वारा विधि विरूद्ध एवं अनियमित रूप से किये जा रहे न्यायिक कार्य एवं अपने व्यक्ति विशेष को लाभ पहुॅचाने के उद्देश्य से जमानत प्रार्थना–पत्र में विधि विरूद्ध आदेश पारित करने से रोके जाने हेतु एवं न्यायिक कार्य पर रोक लगाये जाने एवं नियुक्ति से लेकर अब तक समस्त जमानत प्रार्थना–पत्र, अपील रिवीजन में पारित आदेशों की तथा कार्य व्यवहार की सर्तकता आयोग से जांच कराये जाने के सम्बंध में प्रेषित किया गया। (तत्सम्बंधी शिकायती प्रार्थना–पत्र पत्र की छाया प्रति **संलग्नक– 16/1–5 एवं संलग्नक–17/1–5** के रूप में संलग्न है।) जिला श्रावस्ती से स्थानांतरित होकर जब श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा जिला एटा में जनपद न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया तब नियुक्ति के अल्प समय के उपरांत ही अधिवक्तागण द्वारा

उनके न्यायालय का कार्य वहिष्कार किया गया। (तत्सम्बंधी बार के पत्र की छाया प्रति **संलग्नक–3/1–2** के रूप में संलग्न है।)। यह सभी शिकायती प्रार्थना–पत्र श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय के कार्य, व्यवहार व आचरण के स्पष्ट द्योतक हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 83/2019 नजीब अहमद प्रति रमाशंकर मौर्य थाना भिंगा जिला श्रावस्ती में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के उपरांत भी पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मिसलेनियस सिंगल नं0 7908/2020 मोहित दीक्षित व अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 19.06.2020 की छाया प्रति **संलग्नक–18** के रूप में संलग्न है। यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि **श्रीमान जिला न्यायाधीश का आचरण किस स्तर पर उच्छृंखल व स्वच्छंद रहा है कि उनके सामने माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी कोई अर्थ नहीं रखता है, तब वे आम वादकारी, अधिवक्तागण एवं अपने अधीनस्थ कार्यरत न्यायिक अधिकारीगण व कर्मचारीगण पर किस सीमा तक निरंकुशता का व्यवहार करते रहे हैं, इसके सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी अन्य कोई कथन करने से स्वंय को विवश पा रहा है।**

28. श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा रिमार्क 1 के प्रस्तर 1अ में अधोहस्ताक्षरी की सत्यनिष्ठां संदिग्ध उल्लिखित की गयी हे तथा उसका कारण बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 दर्शाया गया है। गोपनीय प्रविष्टि के बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 का विस्तृत स्पष्टीकरण इस प्रत्यावेदन में उपर उल्लिखित किया जा चुका है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय हे कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की सत्यनिष्ठा बिना ठोस कारण के संदिग्ध नहीं की जा सकती है।

29. उपरोक्त सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 37/1/77 कार्मिक–2 दिनांकित 15 मार्च, 1984 का उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि यदि किसी अधिकारी की सत्यनिष्ठा के सम्बंध में कोई जांच लम्बित है तो भी उसकी सत्यनिष्ठा लम्बित जांच के अंतिम निर्णय के प्रकाश में प्रमाणित की जायेगी। जबकि अधोहस्ताक्षरी की सत्यनिष्ठा के सम्बंध में न तो कोई जांच लम्बित थी न ही निस्तारित हुयी थी बल्कि अन्य तथ्यों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय में अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध लम्बित जांच में अधोहस्ताक्षरी को निर्दोष पाते हुये जांच समाप्त की गयी थी परन्तु श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा निर्णीत जांच को भी गोपनीय प्रविष्टि में आधार के रूप में उल्लिखित किया गया है जबकि इसका न तो कोई अवसर था और न ही वह उल्लिखित किये जाने योग्य ही थी क्योंकि अधोहस्ताक्षरी को उक्त जांच में निर्दोष पाते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जांच समाप्त की जा चुकी थी तथा उक्त आशय की सूचना श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को पूर्व में ही निर्गत की जा चुकी थी। किसी भी राजकीय कर्मचारी/अधिकारी अथवा न्यायिक अधिकारी की सत्यनिष्ठा उसकी सम्पूर्ण सेवाकाल में संचयी निधि होती है जिसे वह अपनी निष्पक्ष, निर्भीक,

विवेशीलता एवं कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के बल पर अर्जित करता है। यदि बिना किसी कारण के उसकी सत्यनिष्ठा पर या उसकी छवि पर कोई दाग लगाया जाता है तो वह उसके लिए ऐसा आघातक अनुभव होता है जिसकी गूंज उसके हृदयपटल पर सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान गुंजायमान होती रहती है तथा वह कुछ क्षण के लिए क्विलित सा हो जाता है। श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा अकारण ही अधोहस्ताक्षरी की सत्यनिष्ठा को संदिग्ध कर दिया गया है जिसका कोई भी उचित एवं पर्याप्त कारण या आधार सम्पूर्ण गोपनीय टिप्पणी में नहीं दर्शाया गया हैं। इस बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था एम0एस0बिन्द्रा प्रति यूनियन आफ इंडिया (1998) 7 ए0सी0सी0 पृष्ठ 310 में यह उल्लिखित किया गया है कि **"Nemo Firut repente Turpissimus"** (कोई भी व्यक्ति अचानक बेईमान नहीं हो जाता है) जो मानवीय आचरण को परखने का एक मापदण्ड है। सम्बंधित प्राधिकरण को समग्र आंकलन की ओर अपनी आंखे पूर्णरूपेण नहीं मूंदना चाहिये कि सम्बंधित अधिकारी का विगत कार्यकाल किस प्रकार का रहा है। एक अधिकारी को सन्देह की अखण्डता के पोखर मे डुबो देना, यह एक कूबड पर सन्देह करने के लिए पर्याप्त नही है। यह सन्देह एक ऐसी प्रकृति का होना चाहिये जो दिये गये सामग्री पर एक उचित व्यक्ति द्वारा उचित और सचेत रूप से मानने योग्य हो। मात्र संभावना शायद ही यह मानने के लिए पर्याप्त है कि ऐसा हुआ हो। उस संभावना के सम्बंध में सन्देह को प्रभावी करने के लिए उचित व्यक्ति के लिए प्रायिकता का एक पूर्व निर्धारण होना चाहिये। इसी प्रकार का उल्लेख सेवा विधि नियुक्ति से पेंशन तक के पृष्ठ संख्या 242 पर उल्लिखित किया गया है। जो इस प्रत्यावेदन के साथ **संलग्नक संख्या 19** के रूप में संलग्न है। _

30. उपरोक्त वर्णित शासनादेश, विधि व्यवस्था, सेवा नियमावली को दृष्टिगत रखते हुये अधोहस्ताक्षरी का विनम्र निवेदन है कि श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा अधोहस्ताक्षरी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध करने का उल्लेख गोपनीय प्रविष्टि में किया जाना बिना किसी साक्ष्य या आधार के औचित्यहीन, आधारहीन तथा पूर्णतया असत्य है एवं विलोपित किये जाने योग्य है। आलोच्य वर्ष में न तो अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध किसी अधिवक्ता अथवा बार एसोसियेशन के द्वारा कोई शिकायत कार्य, व्यवहार अथवा आचरण के सम्बंध में नहीं की गयी न ही अधोहस्ताक्षरी के जिला श्रावस्ती में सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय का किसी प्रकार का कोई कार्य बहिष्कार हुआ और न ही अधोहस्ताक्षरी की विगत लगभग 25 वर्ष की न्यायिक अधिकारी के कार्यकाल के दौरान कभी ऐसा कोई अवसर आया। उपरोक्त परिस्थिति में गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019–2020 में उल्लिखित उक्त टिप्पणी आधारहीन होने के कारण विलोपित किये जाने योग्य है।

31. रिमार्क 1 के प्रस्तर 1बी में सामान्य जनता एवं बार से सम्बंधों के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित करते हुये यह उल्लिखित किया गया है कि अधोहस्ताक्षरी के सम्बंध सामान्य जनता एवं वादकारियों से निष्पक्ष नही है। इस

सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी का निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी की छवि जहॉ जहॉ अधोहस्ताक्षरी न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवारत रहा है, न्यायिक सेवा में आने के उपरांत से लेकर वर्तमान समय तक एक निष्पक्ष न्यायिक अधिकारी के रूप में रही है। आज तक किसी भी जनपद में अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध बार अथवा किसी जन्य सामान्य या वादकारी की ओर से निष्पक्षता के सम्बंध में कोई शिकायत नहीं की गयी है (केवल सावित्री देवी के तथाकथित झूठे प्रार्थना–पत्र को छोडकर जो कि श्रीमान जिला न्यायाधीश श्रावस्ती के इंगित पर झूठे तथ्यों के आधार पर प्रेषित कराया गया।)। श्रीमान जिला न्यायाधीश द्व ारा उक्त प्रतिकूल टिप्पणी के सम्बंध में कोई कारण भी नहीं दर्शाया है कि किस वाद कारी या आम जनता या अधिवक्तागण के मध्य अधोहस्ताक्षरी की छवि निष्पक्ष न रहने का कोई कारण भी नहीं दर्शाया है। केवल 'नो' लिखकर ही उक्त प्रतिकूल टिप्पी अंकित कर दी जो कि आधारहीन होने के कारण विलोपित किये जाने योग्य है जबकि श्रीमान जिला न्यायाधीश का कार्य, व्यवहार एवं आचरण जिस प्रकार का रहा है, उसके सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी द्व ारा पूर्व में उल्लिखित किया जा चुका है। श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित उक्त प्रतिकूल खण्ड इस कारण भी असत्य है क्योंकि इसी रिमार्क कालम के प्रस्तर 1डी में उनके द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि अधोहस्ताक्षरी के व्यक्तिगत चरित्र के सम्बंध में कोई प्रतिकूल तथ्य उनकी जानकारी में नहीं आया। चूँकि अधोहस्ताक्षरी की छवि सौम्य, सुगम, विवेकशील, निष्पक्ष एवं निर्भीक न्यायिक अधिकारी की रही इससे श्रीमान जिला न्यायाधीश अधोहस्ताक्षरी से मन ही मन विद्वेष मानते थे और इसी विद्वेषता के कारण उनके द्वारा उक्त लेखन किया गया जो उपरोक्त कारणों से विलोपित किये जाने योग्य है।

32. रिमार्क 1 के प्रस्तर 1ई 2 का यह उल्लेख कि अनावश्यक स्थगन अवरोधित करने का कोई प्रयास अधोहस्ताक्षरी द्वारा नहीं किया गया, भी पूर्णतया असत्य है, वास्तविक तथ्यों के विपरीत है एवं सारहीन है क्योंकि उसका आधार प्रतिकूल टिप्पणी के प्रस्तर 4 को आधार बनाया गया है जिसका विस्तृत विवरण अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। उक्त एक पत्रावली के अतिरिक्त अन्य कोई उल्लेख सम्पूर्ण गोपनीय प्रविष्टि में नहीं किया गया है जबकि सत्यता यह है कि विभिन्न न्यायालयों के प्रभारी अधिकारी के साथ साथ विभिन्न अनुभागों के प्रभारी के रूप में एकमात्र रूप में केवल और केवल अधोहस्ताक्षरी द्वारा करने के साथ साथ अपने न्यायालय का न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य भी सम्पादित किया जाता था और किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक स्थगन कभी स्वीकार नहीं किये जाते थे तथा अधोहस्ताक्षरी का हर संभव प्रयास यही रहा है कि जो वाद नियत हैं उनमें प्रत्येक की सुनवाई अपरिहार्य कारणों को छोडकर उसके द्वारा की जाये तथा वादों का त्वरित निस्तारण किया जा सके। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षीगण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में विभिन्न पत्रावलियों में समुचित आदेश निरंतर निर्गत किये गये। परन्तु बिना किसी आधार व कारण के उक्त टिप्पणी अंकित की गयी जो उपरोक्त आधारों पर विलोपित किये जाने योग्य है।

33. रिमार्क कालम के प्रस्तर 1ई4 में मध्यस्थम वादो से सम्बंधित निष्पादन वादों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिना न्यायिक अधिकार के निस्तारित किये जाने सम्बंधी टिप्पणी अंकित की गयी है। उक्त के सम्बंध में निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त प्रकृति का कोई भी वाद गुण दोष के आधार पर निस्तारित नहीं किया गया। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में जो भी निष्पादन वाद श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये गये वे मध्यस्थम वादों के निष्पादन से सम्बंधित नहीं थे न ही किसी निष्पादन वाद में इस प्रकृति का ही कोई उल्लेख किया गया और न ही उक्त निष्पादन वाद मध्यस्थम वाद के निष्पादन वाद के रूप में कार्यालय में पंजीकृत हुये न ही श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरण आदेश में उनकी प्रकृति का कोई उल्लेख किया गया था वास्तव में सामान्य निष्पादन वाद थे। उक्त लम्बित निष्पादन वादों में से एक निष्पादन वाद लोक अदालत में वापिस लिये जाने के कारण निस्तारित हुआ तथा शेष निष्पादन वाद अनुपस्थिति में निरस्त हुये। कोई भी निष्पादन वाद गुण दोष के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्णीत नहीं किया गया। स्पष्ट दर्शित होता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार का सम्यक् प्रयोग किया गया और न्यायिक या आर्थिक क्षेत्राधिकार का न तो कभी दुरूपयोग किया गया न ही करने का कोई प्रयास ही किया गया। श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा उपरोक्त उल्लेख भी जानबूझकर अधोहस्ताक्षरी की छवि को क्षति पहुँचाने के आशय से उक्त निष्पादन वादों को मध्यस्थता वाद अंकित करते हुये उक्त टिप्पणी का उल्लेख किया गया है।

34. गोपनीय प्रविष्टि के रिमार्क 1 के प्रस्तर 1एफ, 1एफ2, 1एफ3 के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी का निवेदन है कि उपरोक्त टिप्पणी भी पूर्णतया वास्तविक तथ्यों के विपरीत, असत्य, बिना किसी आधार के, बिना कोई युक्तियुक्त कारण के मात्र अधोहस्ताक्षरी की निष्पक्ष व निर्भीक एवं विवेकशील छवि को प्रतिकूल प्रभावित करने के आशय से दुर्मंतव्य से श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वंय में निहित प्रशासनिक शक्तियों का दुरूपयोग करते हुये उल्लिखित की गयी हैं। क्योंकि इसी रिमार्क 1 के प्रस्तर 1ई7 में श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा लेखबद्ध किये गये मोटर दुर्घटना वादों को उचित बताया गया है जबकि इसके विपरीत अगले ही प्रस्तरों में साक्ष्य का विश्लेषण अच्छा नहीं एवं सुधार किये जाने का उल्लेख किया गया है जो कि एक दूसरे के विरोधाभासी है। यदि एक प्रकार का निर्णय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उचित प्रकार से साक्ष्य का विश्लेषणकरते हुये लिखा गया तब दूसरे प्रकार का निर्णय किस प्रकार गलत है, किस प्रकृति के निर्णय में साक्ष्य का विश्लेषण सही प्रकार नहीं किया गया, का उल्लेख नहीं किया गया है।

35. अधोहस्ताक्षरी का यह भी विनम्र निवेदन है कि निर्णय एवं आदेश पारित किये जाते समय एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना किये जाते समय अद्यतन निर्णयज विधियों एवं विधिक प्रावधानों का उल्लेख आवश्यक होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है। गोपनीय प्रविष्टि में

श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी निर्णय में किसी विधि व्यवस्था का गलत, भ्रामक या अशुद्ध उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी यह समझने में असमर्थ रहा है कि किस प्रकरण में किस स्तर पर उसके द्वारा विधि की गलत व्याख्या की गयी है या गलत या भ्रामका उल्लेख किया गया है।

36. उपरोक्त उल्लिखित समग्र कारणों के आलोक में श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा निर्गत वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के प्रस्तर 1 के खण्ड 2 में उल्लिखित "Poor" प्रविष्टि अधोहस्ताक्षरी की कल्पना से परे है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा उक्त "Poor" टिप्पणी का उल्लेख गोपनीय प्रविष्टि के प्रस्तर 1ए को आधार बनाते हुये उल्लिखित की गयी है जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरिवर्णित विधि व्यवस्था के आलोक में तथा शासनादेश एवं सेवा नियमों के विपरीत है।

37. उपरोक्त परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी का विनम्र निवेदन है कि गोपनीय प्रविष्टि के प्रस्तर 1(a), 1(b), 1(e)(ii), 1(e)(iii), 1(e)(iv), 1(f), 1(f)(i),1(f)(ii), 1(f)(iii), 1(h), 1(i), 1(k), 1(l), 1(m), 2 एवं 4 पर उल्लिखित प्रविष्टि विलोपित किये जाने योग्य है।

38. माननीय महोदय उपरोक्त सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी का यह भी निवेदन है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अविधिक दोषमुक्ति न्यायिक प्रकिया से लोगों का विश्वास डिगा देती है। परन्तु दूसरी ओर विधि का यह भी स्वर्णिम सिद्धान्त है कि चाहें सौ दोषी अवमुक्त हो जायें परन्तु किसी एक निर्दोष को सजा न हो क्योंकि न्याय को अमूर्त और बेजान नहीं बनाया जा सकता। उचित सन्देह काल्पनिक और बनावटी नही है बल्कि यह एक सन्देह है जो तर्क और तथ्यों तथा मामले की परिस्थितियों पर आधारित होता है। यह स्मरणीय रखना होगा कि एक अपराधी को दोषमुक्त करना विधि के साथ न्याय नहीं होगा परन्तु साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल सन्देह या सन्देह पर किसी भी निर्दोष को न्याय पाने के अपने मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। भारतीय गणराज्य में एक न्यायिक परिप्रेक्ष्य में आम नागरिक को केवल उस आधार पर दोषी नहीं माना जासकता कि उसको आरोप पत्रित किया गया है या उसके विरूद्ध दाण्डिक वाद लम्बित है। न्यायालय को किसी प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्य, मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि या दोषमुक्ति का निर्णय पारित करना चाहिये। कृष्णा मोची व अन्य प्रति बिहार राज्य, 2002 सुको कि0 पृष्ठ 1220 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दाण्डिक न्यायालय के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य की ओर इंगित करते हुये यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि न्यायालय का कर्तव्य है कि वह निर्दोष व्यक्ति को न केवल अवमुक्त कियाजाना सुनिश्चित करें बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि अपराधियों को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिये। इसी प्रकार का सिद्धान्त उत्तर प्रदेश राज्य प्रति

अशोक कुमार श्रीवास्तव ए0आई0आर0 1992 सुको 840, सुचा सिंह प्रति पंजाब राज्य (2003)7 एस0सी0सी0 पृष्ठ 643 एवं रमेश हरिजन प्रति उत्तर प्रदेश राज्य (2012)5 एस0सी0सी0 577 पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न विधिव्यवस्थाओं में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि सन्देह केवल काल्पनिक एवं बनावटी नहीं होना चाहिये बल्कि सन्देह सामान्य विवेक एवं तर्क पर आधारित होना चाहिये जो न्यायपूर्ण होना चाहिये। उपरोक्त परिस्थितियों में श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा उल्लिखित गोपनीय प्रविष्टि यह इंगित करती हैं कि अधोहस्ताक्षरी को निर्णय एवं आदेश उनके प्रशासनिक नियंत्रण में पारित करना चाहिये था। यहॉ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन एवं प्रासंगिक प्रतीत होता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित किसी भी निर्णय या आदेश के सम्बंध में माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित नहीं किया गया है।

39. यहॉ यह उल्लेख किया जाना भी उचित प्रतीत होता है कि 1. दाण्डिक अपील संख्या 33/2012 शंभू खान प्रति उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा न्यायालय विशेष न्यायाधीश, पी0सी0ऐक्ट कोर्ट संख्या 2, बरेली के पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्णीत की गयी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 473/2016 में दोषसिद्धि के बिन्दु पर पुष्ट की गयी। सुलभ सन्दर्भ हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश की प्रति **संलग्नक 20/1** के रूप में संलग्न है। इसी प्रकार अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्णीत **(2)** सिविल अपील संख्या 15/2017 जो गुणदोष के आधार पर निर्णीत की गयी, में पारित निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एफ0ए0एफ0ओ0 संख्या 36/2020 में पारित आदेश दिनांकित 28.01.2020 द्वारा पुष्ट करते हुये सिविल अपील निरस्त की गयी, **संलग्नक–20/2, (3)** विशेष परीक्षण संख्या 18/1997 राज्य प्रति ऋषिपाल आदि में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 12.09.2016 माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा शासकीय अपील संख्या 634/2017 में पारित आदेश दिनांकित 09.02.2017 द्वारा पुष्ट करते हुये दाण्डिक अपील निरस्त की गयी **संलग्नक–20/3,**।

40. इसी प्रकार **(4)** सत्र परीक्षण संख्या 14/2005 राज्य प्रति नंदराम आदि में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 08.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत शासकीय अपील संख्या 3069/2016 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.12.2017 द्वारा निरस्त करते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिलखित निर्णय व आदेश पुष्ट किया गया **संलग्नक–20/4,** अधोहस्ताक्षरी द्वारा **(5)** सत्र विचारण संख्या 01/2011 में अभियुक्तगण द्वारा विरचित आरोपों के विरूद्ध डा0 श्रीमती विद्या गोखले द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 3840/2015 प्रस्तुत किया गया जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 15.02.2016 द्वारा निरस्त किया गया। **(निर्णय की प्रति संलग्नक–20/5 है)**।

इसी प्रकार अधोहस्ताक्षरी द्वारा विगत लगभग **दस वर्षों** में अनेक निर्णय पारित किये गये, जिनकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में हुई और माननीय न्यायालय के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के निर्णय पुष्ट किये गये। उदाहरणार्थ अधोहस्ताक्षरी के द्वारा पारित एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट की गयी निर्णयज विधियॉ निम्नवत है–

(1)– क्रिमिनल अपील न0–2615/2011 नवीन कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य, **संलग्नक–20/6,**

(2)– लीव टू अपील अप्लीकेशन नम्बर–363/2014 राहुल प्रताप बिसारिया बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य, **संलग्नक–20/7,**

(3)– क्रिमिनल रिवीजन नम्बर–1569/2014 नरेश बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य, **संलग्नक–20/8,**

(4)– गवर्नमेंट अपील नम्बर–312/2014 स्टेट आफ यू0पी0 बनाम मुकेश जाटव, **संलग्नक–20/9,**

(5)– क्रिमिनल रिवीजन नम्बर–46/2015 आशु उर्फ कासिम बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य, **संलग्नक–20/10,**

(6)– गवर्नमेंट अपील नम्बर–4255/2016 स्टेट आफ यू0पी0 बनाम रमेश पाल, **संलग्नक–20/11,**

(7)– गवर्नमेंट अपील नम्बर–4258/2016 स्टेट आफ यू0पी0 बनाम हृदय नरायन सिंह एंव अन्य, **संलग्नक–20/12,**

(8)– गवर्नमेंट अपील नम्बर–4270/2016 स्टेट आफ यू0पी0 बनाम जगदीश चन्द्र कण्डपाल एवं अन्य, **संलग्नक–20/13,**

(9)– गवर्नमेंट अपील नम्बर–5512/2016 स्टेट आफ यू0पी0 बनाम बीरेन्द्र कुमार शर्मा तथा दो अन्य, के निर्णय की प्रतियॉ अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है, जो **संलग्नक–20/14 है।**

उपरोक्त परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी का विनम्रतापूर्वक एवं सम्मानपूर्वक माननीय महोदय से निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी के प्रत्यावेदन पर सहृदयतापूर्वक एवं सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये अधोहस्ताक्षरी के स्वमूल्यांकन प्रपत्र पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि रखते हुये श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019–2020 में उल्लिखित प्रतिकूल खण्डों मय संदिग्ध सत्यनिष्ठा की प्रविष्टि को खंडित/विलोपित करने की अनुकम्पा करते हुये उचित टिप्पणी तद्नुसार अंकित करने की कृपा करें।

माननीय महोदय उपरोक्त प्रत्यावेदन के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की विनम्र प्रार्थना है कि अधोहस्ताक्षरी का प्रत्यावेदन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, सेशंस डिवीजन, श्रावस्ती के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने की कृपा करें।

अधोहस्ताक्षरी श्रीमानजी की इस कृपा का आजीवन ऋणी एवं आभारी रहेगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

03/2/2021

(शिव कुमार सिंह)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, गाजीपुर।

दिनांकः फरवरी 3, 2021